गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाज़ियाबाद

पत्रांकः 52 / 04 / खेल अधिकारी / 2019 **दिनांकः 18.10.2019**

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से कविनगर शूटिंग रेंज को लीज पर दिये जाने हेतु अनुभवी खेल संस्थाओं एवं एथलीटस् से एम0ओ0यू0 पर देने हेतु दिनांक 23.10.2019 से दिनांक 31.10.2019 रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने एवं दिनांक 02.11.2019 को खोली जायेगी। प्रस्ताव की टेण्डर फीस रू.2596.00 प्राधिकरण के खाते में एवं धरोहर राशि रू.100,000.00 मात्र की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में संलग्न करनी होगी। प्राईज बिड लिफाफा अलग से सील बन्द प्रस्तुत करना होगा।

अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह् 3 बजे तक अधिशासी अभियन्ता नोडल खेल अधिकारी कार्यालय में अथवा प्राधिकरण की वेबसाईट **www.gdaghaziabad.com** पर व देखी जा सकती है।

अधि0अभि0 / नोडल खेल अधिकारी

ई–मेल: helplinegda@gmail.com, facebook-vcgda.ghaziabad@yahoo.com

हेल्पलाईनः **0120-3342433**, एसएमएस / व्हाट्सएपः **9818988807**, वेबसाईटः **www.gdaghaziabad.com**

एक सुन्दर शहर........ हमारा संकल्प

दिनांक 04.10.2019 को जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 04.10.2019 को वित्त नियंत्रक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कविनगर के शूटिंग रेंज के ई0ओ0आई0 में अंकित शर्त एवं प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया

1. वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
2. मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
3. अधिशासी अभियन्ता नोडल खेल अधिकारी, गा0वि0प्रा0
4. क्रीड़ा अधिकारी, गाजियाबाद

प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये ई0ओ0आई0 में उल्लिखित शर्तो पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। कतिपय शर्तो में परिवर्तन हेतु क्रीड़ा अधिकारी, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, नोडल खेल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया। तद्नुसार परिवर्तन करते हुये अब संशोधित ई0ओ0आई0 निम्नानुसार है :–

1. कविनगर शूटिंग रेंज के संचालन की अवधि 03 वर्ष होगी।
2. अनुज्ञप्तिग्रहिता को रू 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र सिक्योरिटी मनी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होंगी। जो M.O.U. अवधि समाप्त होने के उपरान्त वापिस की जायेगी।
3. प्रस्ताव को कविनगर शूटिंग रेंज परिसर न्यूनतम रू0 1,00,000.00 प्रति वर्ष संचालन हेतु वार्षिक किराये पर दिया जायेगा। कोड की गयी दरों पर GST अतिरिक्त देय होगा। [illegible] -
4. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व पहचान पत्र (वोटर आई0डी0 अथवा आधार कार्ड) फोटो की प्रति जमा कराना होगा।
5. यह कि इस अनुज्ञप्ति पर दिये गए स्थल के संचालन का वार्षिक अनुज्ञप्ति अंशदान प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख तीन वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगी, अनुज्ञप्ति विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अनुज्ञप्ति विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा।
6. यह कि अनुज्ञप्ति पर दिये गए स्थलो का कब्जा अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और अनुज्ञप्ति ग्रहिता को स्थाई निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
7. यह कि अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुज्ञप्ति विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर अनुज्ञप्ति ग्रहिता को कविनगर शूटिंग रेंज के स्थलो का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।
8. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति व उसके आस–पास की सफाई मे (न्यूनतम् दो स्वीपर) का पूर्ण दायित्व अनुज्ञप्ति ग्रहिता का होगा और अनुज्ञप्ति ग्रहिता अपने खर्चे पर आवश्यक अनिवार्य रूप से अतिरिक्त व्यवस्था स्वंय करेगा।
9. यह कि अनुज्ञप्ति पर दिये गये स्थलो के रख–रखाव व मरम्मत/अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति ग्रहिता की होगी व अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति के आकार मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करेगा और उक्त स्थलो पर ऐसी गतिविधि नही करेगा, जिससे अनुज्ञप्ति ग्रहिता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
10. यह कि अनुज्ञप्तिकर्ता को अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा दिये गए सुझाव अनुज्ञप्ति ग्रहिता को मान्य होंगे। अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति ग्रहिता की होगी अनुज्ञप्तिकर्ता, द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

Scanned by CamScanner

12. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि एक मुश्त में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।

13. आयकर प्राविधानों के अनुसार ठेके हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित टी०डी०एस० की धनराशि प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त अतिरिक्त रूप में प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी।

14. विशेष परिस्थितियों में निरस्तीकरण करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।

15. अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।

17. प्राधिकरण द्वारा कविनगर शूटिंग रेंज जिस अवस्था में प्रस्तावक को दिया जायेगा उसी अवस्था में M.O.U.अवधि समाप्त होने पर वापस हस्तगत करना होगा अन्यथा दृष्टिगत सिक्योरिटी जप्त कर प्रस्तावक के हर्जे खर्चे पर कार्य कराया जायेगा।

18. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।

19. अनुज्ञप्तिग्रहिता अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी/संस्था को हस्तान्तरित नही करेगा, ऐसा करने की दशा मे अनुज्ञप्ति को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।

20. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी खिलाडी/दर्शक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

21. कविनगर शूटिंग रेंज के स्थल हेतु परिसर के विद्युत कनेक्शन एवं देयता का भुगतान अनुज्ञप्ति ग्रहिता द्वारा किया जायेगा। विद्युत उपयोग के देयको की प्रतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जाएगा, ऐसा नहीं करने की दशा में प्रतिपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली की भांति वसूली की जा सकेगी।

22. कविनगर शूटिंग रेंज के स्थल में गतिविधियों की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग आदि दिलाई जायेगी और उसके लिए प्रशिक्षण शुल्क एजेंन्सी द्वारा लिया जा सकता है, जो कि निम्नवत् होगा :-

(E) Pay & Play :-

खेलने का समय	दिवस	दर	समय सीमा
प्रातः 9:00 बजे से 1:00 बजे तक सायं 8:00 बजे से 9:00 बजे तक	सप्ताह के छः दिवस	18 वर्ष से ज्यादा उम्र रू 200 + टैक्स नियमानुसार प्रतिदिन, 18 वर्ष से कम उम्र रू 120+ टैक्स नियमानुसार प्रतिदिन	01 घण्टा प्रतियोगिता

(F) Coaching :-

खेलने का समय	दिवस	दर	समय सीमा
अपराहन 3:00 बजे से 8:00 बजे तक	सप्ताह के छः दिवस	18 वर्ष से कम उम्र रू० 1000.00 + टैक्स नियमानुसार प्रतिमाह , 18 वर्ष से ज्यादा उम्र रू० 2000.00 + टैक्स नियमानुसार प्रतिमाह	01 घण्टा प्रशिक्षण

23. कविनगर शूटिंग रेंज के स्थल में किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना हेतु अनुमति नही दी जायेगी, ऐसा करने की दशा में अनुज्ञप्ति विलेख निरस्त कर दिया जायेगा और जमा धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी।

24. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट-फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।

Scanned by CamScanner

25. मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायायल एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गए आदेशों का अनुपालन अनुज्ञप्तिग्रहिता को करना होगा।

26. कविनगर शूटिंग रेंज स्थल के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

27. कविनगर शूटिंग रेंज के संचालन स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते पहचान पत्र सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

28. कविनगर शूटिंग रेंज के स्थलो पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं यथा बैरियर, उदघोषणा हेतू माईक, टिकट केबिन व सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।

29. कविनगर शूटिंग रेंज के स्थल के संचालन व्यवस्था में लगाये गए सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनत्तम मजदूरी अधिनियम (Labour Act) का पालन एवं ई0एस0आई0 व पी0एफ0 आदि की सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता का होगा। **प्रशिक्षक (कोच) के लिए अपर आयु सीमा शिथिलनीय होगी।**

30. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी द्वारा कविनगर शूटिंग रेंज के स्थल संचालन व्यवस्था में लगाये गए कर्मी पूर्व में कभी भी किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहे है, इस आशय का शपथ पत्र अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा प्राधिकरण में जमा करना होगा।

31. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी को प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन कर्मचारियों को शुल्क मे 50 प्रतिशत की छूट देनी होगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

32. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी उक्त स्थल को अन्य किसी संस्था को संचालन हेतु हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी।

33. अनुज्ञप्तिग्रहिता एजेन्सी को अपने नाम के साथ–साथ प्राधिकरण के लोगो एवं नाम का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा।

34. एजेन्सी स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगायेगी, जिससे स्वामित्व का आभास होता हो।

35. कविनगर शूटिंग रेंज के रूम की समस्त सुरक्षा एवं रख–रखाव तथा साफ–सफाई का दायित्व एजेन्सी का होगा।

36. कविनगर शूटिंग रेंज के तीन वर्ष के लिए एजेन्सी को प्राधिकरण की नियम शर्तो पर दिया जायेगा, उसके बाद पुनः दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर बढाए जाने की दशा में पुनः एम0ओ0यू0 निष्पादित कराना होगा।

37. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।

38. प्राधिकरण को कोर्ट की जब भी आवश्यकता होगी निःशुल्क स्थल उपलब्ध कराना होगा।

39. कविनगर शूटिंग रेंज के का उपयोग शूटिंग की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रमो के लिए नहीं किया जायेगा।

40. शूटिंग स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता संस्था का होगा।

41. सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्ति द्वारा सुरक्षा कर्मियों (दो दिन में व दो रात में) कुल चार गार्ड नियमित रूप से तैनात करने होगे। जिनका व्यय भार अनुज्ञप्ति द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

42 आर्थिक रूप से कमजोर कम से कम 10 प्रतिशत खिलाडियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाना अनिवार्य होगा।

43 उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिग्रहता के एथलीट होने की दशा में निम्न अर्हतायें वांछित होंगी।

(i) अन्तराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया होना चाहिये।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किया होना चाहियें।

(iii) पर्याप्त संख्या में पिस्टल/राईफल ट्रेनिंग हेतु उपलब्ध होना चाहिये।

Scanned by CamScanner

44 दो व्यक्ति कन्सोर्सियम बनाकर प्रतिभाग कर सकते है। परन्तु मुख्य सदस्य संचालक के पास उपरोक्त बिन्दु के 43 (i) एंव 43(ii) की अहिता पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

45 प्रतिभागी के पास प्रर्याप्त एयर पिस्टल 10 मी0 रेंज एंव एयर राइफल 10 मी0 रेंज न्यूनतम 15 नग उपलब्ध होंने के साथ साक्ष्य एंव सूची उपलब्ध कराना आवश्यक होगा जिसमे रू0100 के शपथ पत्र पर देना होगा ।

46 प्रशिक्षक की न्यूनतम अर्हता शूटिंग में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागी होना चाहिए ।

47 प्रशिक्षण व प्रतियोगिता की शर्तो/प्रतिबन्धों में परिवर्तन प्राधिकरण की सहमति से जनहित में किसी समय किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner